संख्या:02/2020/2457 ई-2/तेरह-2019-89/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2020

विषय: मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शुगर यूनिट साबितगढ़, पोस्ट करौरा, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की क्षमता वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 528 लाख ली. वार्षिक के स्थान पर वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 528 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-86/दो-प्रा.डी.-201, दिनांक 06-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शुगर यूनिट साबितगढ़, पोस्ट करौरा, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर को स्वीकृत संचालन अवधि 330 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस तक आसवन कार्य करने तथा उसके सापेक्ष आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख ली. से बढ़ाकर 560 लाख ली. वार्षिक इस प्रतिबंध के साथ निर्धारित की जाती है कि आसवनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बढ़ी हुयी क्षमता का उपभोग कर सकेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in